प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 03 दिनांक 7.2.2014

2. धारा 7 पी.सी. 1988

3. (क) अपराध की घटना : 7.2.14
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 7.2.2014 समय 11:30 ए0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 5

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) 4 कि0मी0 पंचकूला

6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता
   नाम नि0 सुरेश कुमार थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला
   पिता का नाम
   राष्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय सरकारी नौकर
   पता थाना रा0चौ0ब्रो, सै0–17, पंचकूला

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला
   लिंग <u>पुरूष</u>
   भाषा <u>हिन्दी</u>

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण <u>कोई नहीं</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे प्रबन्धक,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सै0–17, पंचकूला मण्डल पंचकूला श्री मान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 2.6.2011 पंचकूला विरूद्व श्री पाला राम बिश्नोई उपश्रम आयुक्त पंचकूला व श्री परमजीत सिंह श्रम अधिकारी अम्बाला कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 6 / 11 / 11–3 चौकसी(1) दिनांक 26.5.11 की अनुपालना

मे दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी जिसमे लैफटीनेंट कर्नल रिकटायर्ड श्री शादीराम सैनी, निवासी मकान न0 262 प्रेम नगर अम्बाला की शिकायत के आधार पर आरोप था कि शादी राम सैणी ने श्रम अधिकारी अम्बाला के कार्यालय मे लेबर लाईसैंस बनवाने हेतू श्री परमजीत सिंह, श्रम अधिकारी अम्बाला के पास आवेदन किया जिस ने 20,000रू0 रिश्वत की मांग की । श्री परमजीत सिंह श्रम अधिकारी अम्बाला के द्वारा 10,000 रू0 रिश्वत ले लिये बाद मे 30,000रू0 की मांग करने लगाा जो इतनी बड़ी रकम ना दे सकने के कारण ना तो उसका लाईसैंस बनाया ना ही यह बतलाया कि उसमे क्या कमियां है ली हुई रिश्वत की राशि 10,000 रू0 वापिस अपने कार्यालय के चपड़ासी श्री अनिल कुमार मार्फत वादी के लिपिक श्री राजेश कुमार को यह राशि लौटा दी और कहा कि यदि पूरी राशि 30,000 रू0 नही देंगे तो लेबर लाईसैंस नही बनेगा । जिसकी पड़ताल श्री निर्मल सिंह निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला द्वारा की गई थी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तूत अन्तिम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि माह दिसम्बर 2010 मे शिकायतकर्ता श्री शादी राम सैणी ने श्रम अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लेबर लाईसैंस प्राप्त करने के लिए श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला के कार्यालय मे आवेदन दिया था और फाईल पाला राम बश्नोई को सौंप दी थी लाईसैंस की सरकारी फीस 6466 रू0 चालान न0 74 व 75 दिनांक 10.12.10 के अनुसार जमा करवा दी थी । प्रतिवादी ने आवेदन की फाईल सीधे तौर पर ही श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त, पंचकूला को दे दी थी । जिन्होने उस फाईल को अपने पास ही रख लिया था । शिकायकर्ता की लेबर लाईसैंस की फाईल पैंडिग नही है । जैसा कि उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2235 दिनांक 7.7.1 मे दर्शाया है दिनांक 28.12.10 को श्री पाला राम बिश्नोई श्रम अधिकारी अम्बाला के कार्यालय मे आये जंहा पर श्री परमजीत सिंह श्रम अधिकारी अमबाला व श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त ने उसका लेबर लाईसैंस जारी करने की एवज मे 20,000 रू0 की मांग की लेकिन शिकायकर्ता के लाइसैंस फाईल को परमजीत सिंह श्रम अधिकारी अम्बाला द्वारा डील किया जाना नही पाया गया और ना ही वह इस कार्य के लिए सक्ष्म थे तथा ना ही परमजीत सिंह श्रम अधिकारी अम्बाला द्वारा रिश्वत लिये जाने बारे कोई साक्ष्य आया । शिकायतकर्ता शादी राम सैणी से लेबर लाईसैंस जारी करने के लिये श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला ने परमीत सिंह की हाजिरी मे 10,000 रू0 बतौर रिश्वत लिये । जिस की पुष्टि परमजीत सिंह ने अपने कथन मे की है । उसके पश्चात शिकायकर्ता शादी राम सैणी ने दिनांक 24.2.11 को श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला से फोन पर कहा कि उसका लाईसैंस जारी नही किया गया है इस लिए उस से लिये गये 10,000रू0 वापिस दें । जिस पर श्री पाला राम बिश्नोई 10,000रू0 वापिस करने के लिये सहमत हो गया और वह दिनांक 28.12.11 को श्रम अधिकारी अम्बाला के कार्यालय मे आकर पैसे प्राप्त कर लें जिस पर दिनांक 28.2.11 को शिकायतकर्ता शादी राम सैणी को उसके मौबाईल फोन न0 9896392144 पर पाला राम बिश्नोई ने अपने मो0फोन न0 9466175501 के माध्यम से बताया कि अनिल कुमार चपड़ासी कार्यालय श्रम अधिकारी अम्बाला को आपके पैसे 10,000रू0 दे दिये है उन से ले लेना । उसके उपरान्त अनिल कुमार चपड़ासी ने अपने कार्यालय के फोन न0 0171–2533165 के माध्यम से शिकायतकर्ता शादी राम सैणी को उसके उक्त मो0 न0 पर 10,000रू0 ले जाने को कहा जिस पर शादी राम सैणी ने कहा कि वह 10,000रू0 कल यानि 1.3.11 को सुबह आकर ले जाएगा दिनांक 1.3.11 को शिकायतकर्ता व राजेश सेठी पुत्र श्री राज कुमार सेठी मकान न0 11 प्रेम नगर अम्बाला शहर को साथ लेकर श्रम अधिकारी अम्बाला के कार्यालय मे गया जहा पर श्री अनिल कुमार चपडासी हाजिर मिला । अनिल कुमार चपड़ासी ने शिकायतकर्ता के कहने पर 10,000रू0 राजेश कुमार को दे दिये । जिसकी पुष्टि अनिल कुमार चपड़ासी व राजेश कुमार सेठी ने अपने –2 कथनो मे की है । शिकायकर्ता शादी राम सैणी व पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त के बीच दिनांक 10.12.10 से दिनांक 1.3.11 तक हुई बातचीत की काल डिटेल कब्जा मे ली गई । जिस से शिकायतकर्ता के कथन की पुष्टि होती है। प्रतिवादी द्वारा शिकायकर्ता की लेबर लाईसैंस फाईल अभी तक उप श्रम आयुक्त , पंचकूला के कार्यालय मे जमा करवाई जानी नही पाई गई और उप श्रम आयुक्त पंचकूला द्वारा अम्बाला मे किये गये दौरे उक्त तिथियों मे प्राईवेट कार मे जाना पाया गया है लेकिन सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नही किया । अतः जांच से पाया गया है कि श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला द्वारा रिश्वत प्राप्त करना व पैसे वापिस किये जाने पाये गये तथा श्री शादी राम सैणी सेवा निवृत लैफनेट कर्नल की लेबर लाईसैंस की फाईल श्री पाला राम

बिश्नोई उप श्रम आयुक्त ने अपने कब्जा मे रखी है और अभी तक कार्यालय मे जमा नही करवाई । अतः श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त के विरूद्व जुर्म जेरधारा 409 भा.द.स व 7/13(1) डी भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कराये जाने का सुझाव दिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य की मिलीभगत पाई जाये तो उसको भी मुकदमा की तफतीश के दौरान देख लिया जावे । इस लिए श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग अकिंत करने का सुझाव निदेशक रा0चौ0ब्यूरो ह0 पंचकूला के पत्र कमांक 10389 दिनांक 11.8.11 के अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी जिसका परीक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग ने अपने पत्र कमांक 6/11/2011–3 चौ(1) दिनांक 2.1.14 की अनुपालना मे निदेशक रा0चौ0ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पत्र कमांक 446/I–5/रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला दिनांक 10.3.14 के अनुसार श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला के विरूद्व धारा 409 आई पी सी तथा 7/13 (1)डी भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए है अतः श्री पाला राम बिश्नोई उप श्रम आयुक्त पंचकूला के विरूद्व धारा 409 आई पी सी तथा 7/13 (1)डी भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज के लिए तहरीर बराये कायमी मुकदमा दी जा रही है । आदेश पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला आईन्दा तफतीश के लिए मिसल निरीक्षक आशीश कुमार थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला के हवाले की जाये तथा प्रथम सूचना की स्वच्छ प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रट व अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जाये । अज थानाः– उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके नकुलात प्रथम सूचना उच्च अधिकारियों की सेवा मे व प्रथम रिपोर्ट की एक प्रति ईलाका मैजिस्ट्रेट पंचकूला की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जा रही है ।

हस्ता/–
निरीक्षक आशीष कुमार,
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।